



केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2020- दिनांक .....  
..... निविदा भेजने हेतु पता:- निदेशक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निविदा खोलने की दिनांक :- 24.09.2020 स्थान :- केन्द्रीय राज्य फार्म,  
सूरतगढ़

एक वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 30 सितम्बर 2021 तक  
के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :- .....
2. पिता /पति का नाम :- .....
3. पूरा पता :- .....
4. दूरभाष / मो0 न0:- .....
5. पैन न0 :- .....  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि) .....  
.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रू0) 118/- रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
..... अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .....  
..... दिनांक .....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेन्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक के लिये ठेके

क्र. सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व षब्दों में)
1	खण्ड-1 यूनिट ए	38एसटीजी, 35एसटीजी, 37एसटीजी, बीआरपी-1, बीआरपी-3	रु.50,000(रु0 पचास हजार मात्र)
2	खण्ड-1 यूनिट बी	39एसटीजी, 40एसटीजी, 41एसटीजी, 42एसटीजी, 44एसटीजी	
3	खण्ड-2	आरपीएम-1, आरपीएम-2 आरपीएम-3, आरपीएम-4, 33पीबीएन, 31ए पीबीएन, 31बी पीबीएन,	
4	खण्ड-3	34 पीबीएन, 3 एसजीएम, 4 एसजीएम, 5 एसजीएम,	
5	बाग	EPO (बाग गेट सहित)	रु0 20,000(बीस हजार रूपये मात्र)

पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न0 व दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपये में(अंको व षब्दों में)
1			रु0 50,000(रु0 पाचस हजार मात्र)
2			
3			
4			
5			रु0 20,000(बीस हजार रूपये मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)

.....

.....

मो0 न0 ....

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ।

दिनाँक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक ठेके पर देने बाबत

(तकनीकी निविदा प्रपत्र)

पाटी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र कृषि फार्म का	आयकर वेलेड पैन कार्ड	पार्टी का पंजीकरण	डैड-पंजीकरण	सर्विस टेक्स संख्या	लेबर लाईसेंस	सिक्युरेटी लाईसेंस (DGP)	चरित्र प्रमाण पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पर	EPF पंजीकरण	ESi पंजीकरण	दो पास पोर्ट साईज की फोटो
-------------	---------------------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------------------	--	-------------	-------------	---------------------------

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो0 न0 .....

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु।  
दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.10.2020 से 30.09.2021 तक ( एक वर्ष हेतु )
खण्ड न0 1 यूनिट ए	
खण्ड न0 1 यूनिट बी	
खण्ड न0-2	
खण्ड न0-3	
EPO(बाग)	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मो0 न0 .....

फार्म संपदा खड़ी फसल संग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों को पशु/पशुधन व अन्य बचाने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत ठेका।

- 1 फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल, पेड़, चल अचल संपत्ति एवं अन्य संसाधनों को पशु/पशुधन एवं अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है, जैसे के आधार पर" चौबीस घण्टे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक होगी।
- 2 निविदाता निविदा के नियम एवं शर्तों की प्रति निविदा शुल्क रू.118/- का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक 10.09.2020 से 22.09.2020 तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट से डाऊनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू. 118/- Non refundable की डी.डी. जो National seeds corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।
- 3 निविदाता भरी हुई निविदा दिनांक 24.09.2020 को समय 1.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक 24.09.2020 एवं समय 1.00 बजे तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड उसी दिन 3.00 बजे खोली जायेगी। तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तीय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोला जायेगा।
- 4 निविदाता पार्टियों के पास कृषि फार्म से संबंधित सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वयात् संस्था में कृषि फार्म का संतोषजनक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव या गैर सरकारी कृषि फार्म में कम से कम पाँच सौ एकड़ क्षेत्र में संतोषजनक सुरक्षागार्ड को उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधि जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। साथ संबंधित संस्था से कार्य आदेश की प्रति व कृषि फार्म का क्षेत्रफल संलग्न करें।
- 5 पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या(यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाईसेंस पूर्व में कराये गये कार्य हेतु(यदि कोई हो तो) एवं PSA License की प्रति एवं दो पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है। साथ ही पार्टी को एक षपथ पत्र सौ रूपयों के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी

संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि किसी पार्टी के लेबर विभाग में फर्म के पंजीकरण कराये जाने/कराने की प्रति एवं PSA License नहीं है, तो उन्हें इस बाबत Undertaking देनी होगी कि वे Labour License/PSA License की प्रति ऑफर जारी होने के 03 माह के अन्दर जमा करा देंगे, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबंधन पार्टी द्वारा जमा कराई गई अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त करने साथ-साथ उनका ठेका रद्द कर सकता है।

- 6 निविदा के नियम व शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व-सत्यापित है। इस टेंडर प्रक्रिया में MSME पंजीकृत फार्मों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 7 निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि 50000/—(रूपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड व बाग की धरोहर राशि 20000/—(बीस हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि National seeds corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 8 एक पार्टी को केवल एक ही खण्ड का ठेका दिया जाएगा। निविदा फार्म पर खण्ड बार की जायेगी।
- 9 सफल निविदादाता को प्रत्येक खण्ड के सुरक्षा ठेके के लिए रु. 250000—(दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड व बाग की 50000/— (धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि मिलाकर) टेंडर होने के एक साप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।
- 10 धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अन्दर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोत्तर वापस की जायेगी।
- 11 ठेकेदार एवं उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और नहीं पहुँचाने देंगे।
- 12 ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पादन जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी

भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।

- 13 यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबन्धित करेगा फिर भी यदि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
- 14 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एवं अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।
- 15 ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पाइन्टों/संवेदनशील पाइन्टो इत्यादि जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहाँ दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चको/पाइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- 16 फार्म प्रशासन द्वारा बताये गये विभिन्न चकों/पाइन्टों/संवेदनशील पाइन्टों इत्यादि जिनकी जानकारी सारणीबद्ध प्रपत्र रूप(जिन्संत थ्त्त) में निविदा में शामिल करी जायेगी। निविदा दाता द्वारा प्रत्येक चकों/पाइन्टों/संवेदनशील पाइन्टों इत्यादि पर सुरक्षा गार्ड चौबीस घण्टे तैनात करने होंगे, चोरी डकैती व अन्य अपराधिक घटना ड्यूटी स्थल की सीमा में होने पर पुलिस को तुरन्त बुलाना व थ्त् दर्ज कराने जैसी आवश्यक कार्यवाही भी करनी होंगी। जो निविदा दाता यह शर्त सुनिश्चित नहीं करेगा उस पार्टी को अयोग्य माना जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहाँ दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चको/पाइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- 17 ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/ कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगडा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे। सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका



चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

- 18 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वयं भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईकाई में उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके के किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् Sub-letting नहीं करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधन उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
- 19 ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगडा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वयं पुलिस थाने में करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा। तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा। एफ.आई.आर. की छाया प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 20 सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नहीं करवायेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
- 21 ठेकेदार से प्राप्त सवयंवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई. व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तर्गत देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।
- 22 ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

- 23 ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू.100/- (रूपयें सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त षर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार का वहन करना होगा।
- 24 ठेकेदार फार्म ने सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 25 ठेकेदार जो सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी का देगा।
- 26 यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं षर्तों की अनुपालना नहीं की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- 27 ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ा सकता है। जिसकी नियम व षर्तें पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।
- 28 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 29 ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति "जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घण्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा।
- 30 ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सिटी, लाठी, टॉर्च एवं जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टिगत रूप से लगाना होगा।
- 31 ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधि सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार

- द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
- 32 फार्म सम्पदा, फसल एवं इसकी चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
- 33 ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।
- 34 ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/ साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल /उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
- 35 ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 36 किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हडताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
- 37 यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथावा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 38 इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्ष से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में इस करार से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर इसके उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के झगड़ों, विवादों, मतभेदों या दावों को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के प्रवधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जाएगा। मध्यास्थम् का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ़ क्षेत्र ही मान्य होगा।

- 39 किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक(फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।
- 40 यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तों का उल्लंघन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा अदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।
- 41 यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।
- 42 फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।
- 43 ठेकेदार निगम के विरुद्ध किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्च पर सम्पादित करवाया जायेगा।
- 44 सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों में बने हुये फाटक में आवारा पशु नहीं लायेंगे तथा आवारा पशुओं को सूरतगढ़ की गोशाला में भेजेगे। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु नीलगाय, भेड़ बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।
- 45 सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार का इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।

- 46 सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड मे अगर कोई चक आउट-सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोसिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा खर्च के रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नही दिया जायेंगे।
- 47 यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेगें और नही उसका उपयोग करेगें। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कडी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची मे डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
- 48 यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य पुरु करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिषा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नही करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढग से नही करता है तो फार्म प्रषासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची मे डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राषि जब्त कर लें।

धोषणा:-

मैने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व षर्ते पढ ली है। उक्त सभी षर्ते मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होषहवास मे किये है। मेरे द्वारा सभी षर्ते स्वीकार की गई है तथा यह षर्ते केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

सुरक्षा अधिकारी

